



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 31 मार्च, 1978
चैत्र 10, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 769/समह-वि०-1-33-1978

लखनऊ, 31 मार्च, 1978

अधिसूचना

विावध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नामक स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 31 मार्च, 1978 ई० की अनुमति प्रदान की थीर वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नामक स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1978]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नामक स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 का संशोधन करने के

लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के संवैसदों वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नामक स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 संशोधित शासक कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 3,
सन् 1977 की
धारा 7 का
संशोधन।

2—उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 7 में,
शब्द और अंक "31 मार्च, 1978" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1978" रख दिये
जायेंगे।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
विशेष सचिव।

No. 769 (2)/XVII—V-1—33-1978

Dated Lucknow, March 31, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Swayatta Shasan Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 1978), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 31, 1978 :

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF-GOVERNMENT LAWS
(AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. ACT NO. 3 OF 1978]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to amend the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws
(Amendment) Act, 1977

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India
as follows :

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1978.

Amendment
of section 7
of U. P. Act
3 of 1977.

2. In section 7 of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1977, for the word and figures "March 31, 1978", the word and figures "December 31, 1978", shall be substituted.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Vishesh Sachiv.